निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ1(ए) 163/संस्था/बीमा/2014/ दिनांकः 7 AUG 2014

परिपत्र 224

इस विभाग द्वारा समय–समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों की मुख्यालय/कार्यस्थलों पर उपस्थिति एवं समय की पाबन्दी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में परिपत्र/निर्देश प्रसारित किये गये थे। परन्तु यह देखने में आया है कि विभाग के मुख्यालय/संभागीय/जिला कार्यालयों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

अतः सभी संबंधित अधिकारियों/कार्मिकगणों की मुख्यालय/कार्यस्थलों पर उपस्थिति एवं समय की पाबन्दी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी परिपत्रों/निर्देशों को पुनः उल्लेखित करते हुए निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. मुख्यालय/संभाग कार्यालय/जिला कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण पूरे समय कार्यस्थलों पर उपस्थित रहें एवं पदस्थापन स्थान (मुख्यालय) पर ही निवास करे।
2. अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्यस्थल एवं मुख्यालय पर उपस्थिति की नियमित जाँच की जावे एवं दोषी अधिकारी/कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे।
3. मुख्यालय के उच्चाधिकारी/संभागीय वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशकगण जब भी जिला कार्यालयों के निरीक्षण/भ्रमण पर जावे तो अनुपस्थित अधिकारी/कार्मिकों के सम्बन्ध में अवश्य सूचित करे।
4. समस्त अधिकारी मुख्यालय छोड़ने से पूर्व निदेशक/नियंत्रक अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करे।
5. कार्यालय में प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होकर सांय 6.00 बजे तक ठहराव सुनिश्चत करे। आदतन विलम्ब से उपस्थित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सी.सी.ए.नियम 1958 के नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
6. उपार्जित अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व नियमानुसार सक्षम स्वीकृति पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करे/मुख्यालय छोड़े।
7. मुख्यालय एवं प्रत्येक कार्यालय पर मूवमेंट रजिस्टर का संधारण किया जावे। समस्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय समय में बाहर जाने से पूर्व इस पंजिका में अपनी डीटेल्स अंकित करने के पश्चात ही प्रस्थान करे।

(डॉ. राजेश शर्मा)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ1(ए) 163/संस्था/बीमा/2014/ 4397 - 4445 दिनांकः 7 AUG 2014

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारी, मुख्यालय /साधारण बीमा कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ।
4. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभागीय कार्यालय।
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय।
6. रक्षित कार्यालय/नोटिस बोर्ड

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

D:\New\bunkar\Circular\Punctulity\19-9-14(1).doc